

बिहार सरकार
कृषि विभाग

संचिका संख्या-3/कृ. बजट आवंटन-28/2013 139 (आवंटन) /कृ., पटना, दिनांक 12-09-2013
प्रेषक :

Mail/Fax

रामजी सिंह
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला कृषि पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/रोहतास/बक्सर/कैमूर/गया/नवादा/
औरंगाबाद/जहानाबाद/अरवल/सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/सीतामढ़ी/
वैशाली/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/शिवहर/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय
/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/खगड़िया/पूर्णिया/अररिया/किशनगंज/कटिहार/भागलपुर/
बांका/मुंगेर/लखीसराय/जमुई/शेखपुरा।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में 100 प्रखंड स्तरीय ई-किसान भवन के परिचालन हेतु 449.70 लाख
रुपये (चार करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय
हेतु कुल ₹4,49,70,000 (चार करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का
आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या-4432 दिनांक-04.09.2013 द्वारा वित्तीय वर्ष 2013-14
में 100 प्रखंड स्तरीय ई-किसान भवन के परिचालन हेतु 449.70 लाख रुपये (चार करोड़ उनचास लाख सत्तर
हजार रुपये) व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु स्वीकृत कुल ₹4,49,70,000 (चार करोड़ उनचास लाख सत्तर
हजार रुपये) मात्र की राशि संलग्न विवरणी के अनुसार आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹4,49,70,000 (चार करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार रुपये) मात्र की राशि का
व्यय मुख्यशीर्ष "4401 फसल कृषि कर्म पर पूंजीगत परिव्यय-उप मुख्यशीर्ष-00-लघु शीर्ष-051-निर्माण, माँग
संख्या-1-उप शीर्ष-0101-कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना, विपत्र कोड-P4401000510101-राज्य योजना
स्कीम कोड-AGR-50 32 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में विषयशीर्ष-27 02-अनुरक्षण एवं मरम्मत में
उपबंधित राशि 500.00 (पाँच सौ लाख रुपये) से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि (2) दिनांक 17.04.98 एवं पत्रांक-7857
दिनांक-31.07.2013 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस राशि के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में निकासी एवं व्यय किया
जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के बाद टी. भी. नम्बर के साथ व्यय विवरणी अद्योहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से
उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक - 139 (आवंटन)

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रामजी सिंह

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक - 139 (आवटन)

/क०, पटना, दिनांक 12-09-2013

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बिहार पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/कृषि निदेशक, बिहार पटना/निदेशक, पी०पी०एम० कृषि विभाग, बिहार पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना), बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, ई-किसान भवन, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी योजना-(सचिवालय एवं कृषि निदेशालय) बिहार पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ प्रेषित।

(139/20/13)

सरकार के संयुक्त सचिव,

ज्ञापांक - 139 (आवटन)

/क०, पटना, दिनांक 12-09-2013

प्रतिलिपि :- विवरणी सहित उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना/आई. टी. मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर डालने हेतु प्रेषित।

प्रति

(139/20/13)

सरकार के संयुक्त सचिव,

